खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 29 / 2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनसिंह व अन्य

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 29 / 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025 / 167

| सायल :– | | गैर सायल :– |
|---|---|---|
| जरिये सरकार दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली | बनाम | 1. रतनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह राजपुत मकान मालिक अरमान पुत्र युनूस खान, वीर दुर्गादास कॉलोनी सुमेरपुर, पाली मो.न. 9680918320<br>2. Madan Lal Ghanchi Vishal Traders, Agrasen Marg Main Market, Sumerpur<br>3. Sandeep Mutha Shah Lakhichand Mahendra Kumar& Co. j 2/3 Manore Mandi Jodhpur<br>4. Ashish Prasad Agrwal (Nominee) Vijay Solvex Ltd. Bhagwati sadan, Swami Dayanand Marg, Alwar (raj.) 301001 |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

उपस्थितिः

1. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 स्वयं उपस्थित।

**–:निर्णयः–**

दिनांकः 30.01.2026

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(v) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 19.09.2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान् / वकुलाय को सूचित किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार दिनांक 17.02.2025 को वक्त निरीक्षण सायल दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता रतनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह व गवाहान की उपस्थिति में मकान का निरीक्षण करने पर पाया की Edible Vegetable Fat (ब्राण्ड चांसलर) के 15 लीटर के 06 पैक टीन रखे है, विक्रेता ने बताया की यह आम जन को बिक्री वास्ते होना बताया। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर रुबरु प्रपत्र 5ए भरकर दिया एव प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस परे सायल व विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया गया था कि उक्त नमूना वास्ते एफएसएसए एक्टे के अन्तर्गत जांच हेतु लिया जा रहा है।

यह है कि सायल दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में रखे हुए Edible Vegetable Fat (ब्राण्ड चांसलर) के एक पैक टीन को खोलकर विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में 1600 ग्राम Edible Vegetable Fat खरीद किये गये को वास्ते जांच हेतु क्रय कर जिसकी कीमत विक्रेता को 350 /– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 29 / 2025
**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011**
**उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनसिंह व अन्य**

अधिकारी व विक्रेता व उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर है रसीद माल खरीद असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

यह है कि दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये Edible Vegetable Fat (ब्राण्ड चांसलर) को हिलामिला कर एकरुप करके चार साफ व सुखी बोतल में अलग अलग मात्रा में लेकर ढक्कन एयर टाईट बन्द किया। प्रत्येक चारो बोतल पर मौके पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली का कोड क्रमांक आर–2797 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं सायल ने किये। उक्त तैयार लेबल मे से एक एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेट पर चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेट को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना पैकेट पर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,पाली की हस्ताक्षरयुक्त पेपरस्लीप, कोड क्रमांक आर–2797 गोंद से नियमानुसार चारों नमूना पैकेट के मूंह से पैंदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना पैकेट को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद सीलमूहर किया, एक सील नमूना पैकेट के मूंह पर एक सील पैंदे पर दो नमूना की बॉडी पर जहां पर धागे की गांठ लगाई पर चपडी लगाकर सीलबंद व सीलमूहर किया। विक्रेता व गवाहान ने नियमानुसार पेपर स्लीप व खाकी कागज को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबन्द नमूना को अपने जाब्तें में लिया।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर,सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होनें स्वयं ने भी पढ़कर, सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। उपरोक्त सभी कार्यवाही मैने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। मौका फर्द पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर की थी। जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूंचकर फॉर्म न. 06 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील मोहर लगाई जिससे नमूना सील मोहर की थी। एक नमूना मय फॉर्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, दो फॉर्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा मे बन्द कर,चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फॉर्म न. 6 की प्रतियां आउटर कवर में चपडी से सीलबन्द कर, सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं मुख्य खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्रांक एफएसएसए / 2025 / 2623 दिनांक 28.03.2025 एवं जांच रिपोर्ट एल.एस. / 595 / एक्ट / 2025 / 623 दिनांक 05.03.2025 के द्वारा लिया गया (ब्राण्ड चांसलर) नमूना क्रमांक आर–2797 का नमूना Sub Standard पाया गया है। अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है, जिसकी सूचना विक्रेता को भी दी गई है।

यह है कि नमूने की पुनः जांच हेतु अपील की गई है, जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला भिजवाया गया है। जो कि Sub Standard as defined under section 3(1)(zx) Of Food Safety and Standards Act 2006 पाया गया है। अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्ट असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

अतः 1.रतनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह राजपुत मकान मालिक अरमान पुत्र युनुस खान, वीर दुर्गादास कॉलोनी सुमेरपुर, पाली 2. Madanlal Ghanchi m/s Vishal Traders, Agrasen Marg Main Market, Sumerpur, 3- Sandeep Mutha m/s Shah Lakhichand Mahendra Kumar & Co. J 2/3 Mandore Mandi, Jodhpur 4- Ashish Prasad Agrwal (Nominee) m/s Vijay Solvex Ltd. Bhagwati sadan, Swami Dayanand

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 29 / 2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनसिंह व अन्य

Marg, Alwar (raj) ने Edible Vegetable Fat (ब्राण्ड चांसलर) अवमानक का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(5) का उल्लघंन किया है। विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के नियमों की पालना नही कर के दुबारा पुनरावर्ती की गई है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। व अप्रार्थी संख्या 02 लगाय 04 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 02 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि न्याय के निर्णय के पैरा नम्बर 01 लगाय 07 मेरी जानकारी में न होने के कारण अस्वीकार है।
2. यह है कि न्याय निर्णयन का पैरा संख्या 08 में अंकित जांच रिपोर्ट LS/595 / एक्ट / 2025 / 623 / दिनांक 05.03.2025 के अवलोकन से यह पाया गया कि Baudounim tes when tested as par rules का रिजल्ट नेगेटिव है। Prescribed Standed positive (not higher than 2.0 red unit in a 1 cm cell on Lovibond scale) होना चाहिए जो prescribed standard के अनुसार रिजल्ट होना चाहिये।
3. यह है कि मुझ प्रार्थी नम्बर 02 ने अप्रार्थी संख्या 03 से जैसा माल जिस अवस्था में लिया उस माल को उसी अवस्था में अप्रार्थी संख्या 01 को विक्रय कर दिया। अर्थात मैने जैसा माल अप्रार्थी संख्या 03 से लिया वैसा ही माल अप्रार्थी संख्या 01 को विक्रय किया, उस माल में कोई परिवर्तन नहीं किया। अतः न्याय निर्णयन के जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(5) का उल्लघंन नहीं किया है। अतः यह न्याय निर्णयन मेरे प्रति खारिज करने की कृपा करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अप्रार्थी संख्या 03 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह कि न्याय निर्णयन का पैरा नम्बर 01 में अंकित कथन राजकीय कार्य के अधिकारी से सम्बन्धित है जो आवेदक अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करें।
2. यह कि न्याय निर्णयन का पैरा न. 02 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
3. यह कि न्याय निर्णयन अभियोग पत्र के पैरा न. 03 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यहां तक आवेदक ने निर्माता फर्म विजय सोल्वेक्स को फॉर्म न. 5 ए नहीं भेजा।
4. यह कि न्याय निर्णयन अभियोग पत्र के पैरा न. 04 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
5. यह कि न्याय निर्णयन अभियोग पत्र के पैरा न. 05 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
6. यह कि न्याय निर्णयन अभियोग पत्र के पैरा न. 06 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
7. यह कि न्याय निर्णयन अभियोग पत्र के पैरा न. 07 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
8. यह कि न्याय निर्णयन का पैरा न. 08 में अंकित कथन में डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्रांक एफएसएसए / 2025 / 2623 दिनांक 05.03.2025 एवं जांच रिपोर्ट में लिया गया नमूना Sub Standard पाया गया है। उक्त तथ्य रिकॉर्ड का विषय है परन्तु जांच रिपोर्ट LS/595/एक्ट / 2025 / 623 दिनांक 05.03.2025 के अवलोकन से यह पाया गया कि Baudouin test when tested as per rules का रिजल्ट नेगेटिव है। Prescribed Standard Positive (not higher than 2.0 red unit in a 1 cm. cell on a

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 29/2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनसिंह व अन्य

Lovibond scale होना चाहिए जो Prescribed Standard के अनुसार रिजल्ट सही नहीं है।

9. यह कि न्याय निर्णयन के पैरा न. 09 में अंकित कथनो के अनुसार नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नहीं की गई। श्रीमान् खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली ने केवल विक्रेता को जरिये पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/2623 दिनांक 25.03.2025 के द्वारा विक्रेता श्री रतनसिंह को 46 (4) का नोटिस दिया है। श्रीमान् खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पाली ने अप्रार्थी संख्या 03 को 46 (4) का नोटिस नहीं दिया है। श्रीमान् खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पाली ने अप्रार्थी संख्या 03 के पुनः जांच हेतु अपील के अधिकार से वंचित रखा है। यह कि निर्माता अप्रार्थी संख्या 04, अप्रार्थी संख्या 03 मैसर्स Shah Lakhichand Mahendra Kumar& co. J 2/3 Mandore Mandi, Jodhpur को माल विक्रय करता है तथा मिन प्रार्थी संख्या 03 अप्रार्थी संख्या निर्माता का स्टॉकिस्ट है। मिन अप्रार्थी संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा दिया हुआ माल उसी अवस्था व उसी हालात में बिना किसी छेडछाड के आगे दुकान मालिकों को विक्रय करता है।
10. यह है कि न्यायालय निर्णय के पैरा न. 10, 11, व 12 में अंकित कथनों के अनुसार यह कार्यालय कार्यवाही है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 03 मैसर्स Shah Lakhichand Mahendra Kumar& co. J 2/3 Mandore Mandi, Jodhpur ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(5) का उल्लंघन नहीं किया है। यह न्याय निर्णयन खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 04 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि :-

1. यह कि न्याय निर्णयन का पैरा नम्बर 01 में अंकित कथन राजकीय कार्य के अधिकारी से सम्बन्धित है जो आवेदक अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करें।
2. यह कि न्याय निर्णयन का पैरा न. 02 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
3. यह कि न्याय निर्णयन अभियोग पत्र के पैरा न. 03 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यहां तक आवेदक ने निर्माता फर्म विजय सोल्वेक्स को फॉर्म न. 5 ए नहीं भेजा।
4. यह कि न्याय निर्णयन अभियोग पत्र के पैरा न. 04 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
5. यह कि न्याय निर्णयन अभियोग पत्र के पैरा न. 05 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
6. यह कि न्याय निर्णयन अभियोग पत्र के पैरा न. 06 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
7. यह कि न्याय निर्णयन अभियोग पत्र के पैरा न. 07 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
8. यह कि न्याय निर्णयन का पैरा न. 08 में अंकित कथन में डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्रांक एफएसएसए/2025/2623 दिनांक 05.03.2025 एवं जांच रिपोर्ट में लिया गया नमूना Sub Standard पाया गया है। उक्त तथ्य रिकॉर्ड का विषय है परन्तु जांच रिपोर्ट LS/595/एक्ट/2025/623 दिनांक 05.03.2025 के अवलोकन से यह पाया गया कि Baudouin test when tested as per rules का रिजल्ट नेगेटिव है। Prescribed Standard Positive (not higher than 2.0 red unit in a 1 cm. cell on a Lovibond scale होना चाहिए जो Prescribed Standard के अनुसार रिजल्ट सही नहीं है। देश के विभिन्न विभिन्न जगहों से तिल अथवा तिल्ली का तेल लाया जाता है जो भिन्न भिन्न किस्म का होता है जिसमें कुछ तिल की किस्म होती है जिसे वनस्पति घी में मिलाये जाने के बाद Baudoun Test करने पर Respond नहीं करता जिसका एक उदाहरण माननीय दिल्ली जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 के द्वारा स्पष्ट है कि " In My View even though, the judhment is in personum, the legal

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

principle that can be deducted from the said case that Baudouin test is not infallible test and it cannot detect the presence of all kinds of till oil. Further, the said decision placed the onus on the prosecution to C.A. No. 14/18.8/9 show that the Till seeds from Mediterranean or some other area, which may not be detected by Baudouin test were not available in india. That being the ratio, which can be culled out from the aforesaid cases, the same will apply on all forms in the present case as well since the analysis and the conclusion are based solely on the Baudoun Test. The same conclusion has to arrived at. It would not make any difference whether the public analyst was examind or not, as infallibility of the Baudouin Test, इससे यह स्पष्ट है कि उक्त टेस्ट अभ्रन्तता के दायरे में आता है।

9. यह कि न्याय निर्णयन के पैरा न. 09 में अंकित कथन के अनुसार नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नहीं की गई। श्रीमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली ने केवल विक्रेता को जरिये क्रमांक एफएसएसए/2025/2623 दिनांक 25.03.2025 के द्वारा विक्रेता श्री रतन सिंह को 46 (4) का नोटिस दिया है, निर्माता फर्म विजय सोल्वेक्स लि. को नोटिस नहीं दिया गया है जो कि इस न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न न्याय निर्णय की कॉपी में स्पष्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली ने निर्माता के अधिकार से वंचित रखा है जो कि विधिक रुप से आवश्यक है।

10. यह कि न्याय निर्णयन के पैरा न. 10, 11 व 12 में अंकित कथनों के अनुसार यह कार्यालय कार्यवाही है। अतः न्याय निर्णयन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्माता आशीष प्रसाद अग्रवाल नोमिनी फर्म विजय सोल्वेक्स, अलवर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(5) का उल्लंघन नही है।

प्रार्थना पत्र पर अन्तिम बहस के दौन प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या दो, तीन एवं चार उपस्थित नहीं आए, अतः अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की एकतरफा बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रश्नगत खाद्य सामग्री अप्रार्थी संख्या दो से पैक्ड़ स्थिति में क्रय किया था तथा उसी स्थिति में विक्रय हेतु रखा था जिसमें अप्रार्थी द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी संख्या एक के विरुद्ध आरोप ड्रॉप कर राहत प्रदान करावें।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के गहनतापूर्वक अध्ययन से यह जाहिर होता है कि प्रश्नगत खाद्य तेल ब्राण्ड 'चांसलर' अप्रार्थी संख्या 04 फर्म Vijay Solvex LTD. द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन को तथा अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा अप्रार्थी फर्म संख्या 02 को विक्रय किया गया। उक्त अप्रार्थी फर्म संख्या दो Vishal Traders द्वारा प्रश्नगत खाद्य सामग्री विक्रेता रतनसिंह अर्थात अप्रार्थी संख्या एक को सल्पाई की गई। उक्त तथ्यों का किसी भी अप्रार्थी फर्म ने खण्डन नहीं किया है अर्थात् यह स्वीकार्य स्थिति है कि अप्रार्थीगण संख्या एक, दो व तीन द्वारा उक्त पैक्ड़ खाद्य सामग्री अप्रार्थी फर्म संख्या चार से खरीदी जाकर अवरोही क्रम में सप्लाई हुई।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों से ज़ाहिर होता है कि दिनांक 17.02.2025 को ज़ैर कार्यवाही खाद्य सामग्री Edible Vegetable Fat (ब्राण्ड चांसलर) नमूना क्रमांक आर–2797 खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 05.03.2025 में '**Sub Standard**' होना पाया गया। इस प्रकार, अप्रार्थी द्वारा 'Sub Standard' (अवमानक) खाद्य सामग्री Edible Vegetable Fat (ब्राण्ड

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली



Scanned with OKEN Scanner

**खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 29 / 2025**
**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011**
**उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनसिंह व अन्य**

चांसलर) नमूना क्रमांक आर–2797 का /विक्रय/भण्डारण करना साबित होता है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

विधिक स्थिति इस प्रकार है कि FSSA 2006 की धारा 26 में **Sub Standard** खाद्य सामग्री का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय, तीनों अनुमत नहीं है अर्थात् यद्यपि प्रश्नगत खाद्य सामग्री 'पैक्ड' भले हो, किन्तु इस तथ्य का अवलम्ब लेकर अप्रार्थीगण/विक्रेता संख्या एक लगाय तीन उक्त धारा 26 के प्रावधानों से उन्मोचित नहीं हो सकते।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि वक़्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या एक की फर्म/दुकान पर 15 kg के 6 टिन उपलब्ध थे तथा MRP राशि 3340/– अंकित थी। अर्थात् कुल राशि लगभग 20 हजार का प्रश्नगत माल तत्समय विक्रय हेतु रखा हुआ था।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधिनियम विहित मापदण्डों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा 51 में सहपठित धारा 49 विहित प्रावधानान्तर्गत 'अवमानक' श्रेणी की खाद्य सामग्री Edible Vegetable Fat (ब्राण्ड चांसलर) नमूना क्रमांक आर–2797 जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) में यथापरिभाषित है,के विक्रय निर्माण भण्डारण के कारण कुल MRP राशि के समतुल्य 20,000/– रुपये मात्र अक्षरे बीस हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 03 पर प्रत्येक पर 3000/– अक्षरे तीन हजार रुपये व अप्रार्थी संख्या 04 पर शेष राशि 11000/– ग्यारह हजार रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक **30.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

क्रमांक/कोर्ट/खा.सु.प्र.स.29/2025/2026/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली,

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

Scanned with OKEN Scanner